119

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1438-दो/2017 - विरूद्ध आदेश दिनांक 12-4-2017 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर जिला अशोकनगर - प्रकरण कमांक 93/2015-16 अपील

बलवीर सिंह पुत्र रघुवीर सिंह
ग्राम सोवत तहसील व जिला
अशोकनगर मध्य प्रदेश

----आवेदक

विरूद्ध

1- श्रीमती सुनीता पत्नि दिलीप सिंह विलधैया
प्रेमचंदनगर रोड वालाजी एवेन्यू जे-10
बस्त्रापुर अहमदावा गुजराज

2- श्रीमाती अनीता पत्नि धमेन्द्र भदौरिया ,
रायल रेजीडेन्सी कमला पेट्रोल पंप के पीछे
मारूती शोरूम के सामने ए.बी.रोड गुना

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री विवेक व्यास)

आ दे श

(आज दिनांक 9 - 3 -2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 93/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सार यह है कि अनावेदकगण ने ग्राम सोवत की भूमियों पर नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 21 पर प्रविष्टि दि0 25-11-12 पर किये

गये इन्द्राज को फर्जी एंव अधिकारिता रहित बताते हुये अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन सहित अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 93/ 2015-16 अपील पॅजीबद्व किया तथा अनावेदक के उपस्थित होने पर अंतरिम आदेश दिनांक 12-4-17 से निर्णय लिया कि नामान्तरण पंजी की सत्य प्रतिलिपि संलग्न है अतः LCR की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण धारा 5 एंव अपील अनुमति के आवेदन के जवाव हेतु। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि खातेदार रघुवीर सिंह व्दारा अपने जीवन काल में प्रकरण क्रमांक 13 अ 27/99-200 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2000 से भूमियों का बटवारा करा लिया गया था जिसमें सर्वे क्रमांक 73/1 रकबा 1.992 हैक्टर नर्वदावाई उर्फ विन्नीवाई , सर्वे क्रमांक 73/2 रकबा 2.000 हैक्टर बलवीर सिंह तथा सर्वे क्रमांक 74 रकबा 5.078 हैक्टर नर्वदावाई के नाम पर बटवारा स्वीकृत किया जा चुका है और इस बटवारे का अमल शासकीय अभिलेख में होने तक किसी अन्य वारिस ने कोई आपत्ति नहीं की और बटवारा आदेश दिनांक 27-9-12 को किसी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी, तब नर्वदावाई उर्फ विन्नीवाई की मृत्यु उपरांत सर्वे क्रमांक 73/1 रकबा 1.992 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 74 रकबा 5.078 हैक्टर पर फोती नामांतरण पंजी क्रमांक 21 दिनांक 25-11-12 को चुनौती नहीं दी जा सकती है अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा अपील को ग्राह्यता पर निरस्त न करते हुये अन्य बिन्दुओं पर सुनवाई में लेने की भूल की गई है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का अंतरिम आदेश दिनांक 12-4-17 निरस्त किया जाय।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है अनावेदकगण अशोकनगर अथवा सोवत गॉव में नहीं रहती है । मृतक रघुवीर सिंह के दो पत्नियॉ विद्यादेवी एंव नर्वदवाई थी जो मर चुकी है। विद्यादेवी के एक पुत्र परमाल सिंह व पुत्री संतोष है । नर्वदावाई उर्फ बिन्नी पत्नि के एक पुत्र बलवीर सिंह व दो पुत्रियां सुनीता

और अनीता है जो रघुवीर सिंह की जायदाद में हिस्सेदार है। हलका पटवारी ने सॉठगॉठ करके अकेले बलवीर सिंह के नाम की फर्जी प्रविष्टि वारिसानों में कराते हुये नामांत्रण कार्यवाही कराई है एंव नामांत्रण पंजी पर सक्षम अधिकारी ने नामान्तरण का अनुमोदन नहीं किया है समस्त कार्यवाही फर्जी है इसलिये आवेदक की निगरानी मिथ्या आधारों पर होने से निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के अंतरिम आदेश दिनांक 12-4-17 के अवलोकन से परिलक्षित है अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की है। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा-5 का सामान्य सिद्वांत है कि यदि अपील/निगरानी के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन दिया गया है तब सर्वप्रथम पक्षकारों को सुनकर धारा-5 के आवेदन का निराकरण किया जावेगा, इसके वाद मामला गुणागुण पर सुनवाई योग्य है अथवा नहीं - विनिश्चय होगा। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा-5 के जवाव हेतु आवेदक को समय देने में त्रृटि नहीं की है। आवेदक के अभिभाषक ने अपील की प्रचलनशीलता वावत् जो तथ्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है उन्हीं तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत करने का आवेदक को उपचार प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक व्दारा अपील प्रकरण का निराकरण समय पर न होने पावे, विलम्ब करने के उद्वेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर जिला अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 93/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-4-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर